UPMB010003732025

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–121/2025
सरकार बनाम निशीकान्त प्रसाद,
धारा 376(2)(ढ),504,506 भा0दं0सं0 व 67ए आई0 टी0 एक्ट।
मु0अ0सं0–376/2024
थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा।

<u>आरोप</u>

मैं सर्वोत्तमा नगेश शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा, आप अभियुक्त निशीकान्त प्रसाद को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँः–

<u>प्रथमः–</u> यह कि आप अभियुक्त ने दिनांक 15.03.2022, 18.03.2022 व 25.03.202 को समय अज्ञात स्थान अभियुक्त का किराये का कमरा मुहल्ला रामकथा मार्ग संतोष तिवारी का मकान थाना कोतवाली महोबा जिला महोबाब में आपने वादिनी मुकदमा के साथ शादी का झांसा देकर जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरूद्ध लैंगिक प्रवेशन हमला/बलात्कार किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376(2)(ढ) के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा/पीडिता को गाली–गलौज कर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–504 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा/पीडिता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–506 के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

चतुर्थः–यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादिनी मुकदमा पीडिता के साथ बलात्कर करके मोबाइल से अश्लील वीडियों बनाया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य किया है जो कि आई0 टी0 एक्ट धारा–67ए के अन्तर्गत दण्डनीय है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद् द्वारा आप अभियुक्त को निर्देश दिया जाता है कि आप अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 23.04.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

आरोप अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया। उक्त आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया तथा परीक्षण की याचना की।

दिनांकः 23.04.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

UPMB010003732025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश(एफ0टी0सी0)वूमेन रिलेटेड, महोबा।

सत्र परीक्षण संख्या–121 / 2025
सरकार बनाम निशीकान्त प्रसाद,
धारा 376(2)(ढ),504,506 भा0दं0सं0 व 67ए आई0 टी0 एक्ट।
मु0अ0सं0–376 / 2024
थाना कोतवाली महोबा जिला महोबा।

आदेश

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त **निशीकान्त प्रसाद** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया।

आरोप विरचित किये जाने के प्रश्न पर अभियुक्त व उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के उपरांत मेरी राय में यह अवधारित करने के लिए पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त **निशीकान्त प्रसाद** के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा–376(2)(ढ),504,506 भा0दं0सं0 व 67ए आई0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत प्रथमदृष्ट्या अपराध बनता है।

अतः अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 07.05.2025 को पेश हो।

दिनांकः 23.04.2025

(सर्वोत्तमा नगेश शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0)
वूमेन रिलेटेड, महोबा।

Digitally signed by Sarvottama Nagesh Sharma
Date: 2025.04.23 15:09:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court